न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 162/2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2024/261

प्रार्थीनी		विप्रार्थीगण
चम्पादेवी पत्नि हड़मानराम जाति जाट निवासी शोभावास (मेवानगर) तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा	बनाम	1.नारायणसिंह पुत्र भैरसिंह जाति राजपूत निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2.अर्जुनसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी लोलावा तहसील सिणधरी 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री भगवतसिंह राठौड़,प्रार्थीनी अधिवक्ता

2.श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2

3.विप्रार्थी संख्या 03 अनुपस्थित।

:निर्णय:

दिनांक–31.07.2025

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्राथीनीं चम्पादेवी पत्नि हड़मानराम जाति जाट निवासी शोभावास तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 155/77 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर मौजा शोभावास तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 190/36 व विप्रार्थी संख्या 03 का खसरा संख्या 37 व 248/77 भूमि में से 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीनी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

02. प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

03. तत्पश्चात् प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीनी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी का खसरा संख्या 37,190/36 व 248/77 मौजा शोभावास में से प्रार्थीनी के खातेदारी खेत संख्या 155/77 तक बंरग लाल के चौड़ा रास्ता 15 फिट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीनी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीनी को आपति नहीं।

04. विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट अनुरूप प्रार्थीनी को रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नही है।

05. हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 37,190/36 व 248/77 भूमि में से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या 01 व 2 द्वारा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किए जाने पर सहमति दी गई। विप्रार्थी संख्या 03 ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

i. ग्राम शोभावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 155/77 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टयर किस्म बा.दोयम भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 37 मे 696 वर्ग मीटर,खसरा संख्या 190/36 मे 80 वर्ग मीटर एवं खसरा संख्या 248/77 मे 1080 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित की गई है तथा प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है।

06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीनी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

07. चूंकि प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 155/77 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीनी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीनी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीनी को रास्ता दिए जाने की सहमति दी गई है। इसके अलावा विप्रार्थी तहसीलदार पचदपरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनी द्वारा आवेदित रास्ते खसरा संख्या 37 मे 696 वर्ग मीटर,खसरा संख्या 190/36 मे 80 वर्ग मीटर व खसरा संख्या 248/77 मे 1080 वर्ग मीटर में होकर रास्ता गुजरता है तथा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प बताया है,इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में न ही राजहित के प्रभावित होने का उल्लेख किया है। उक्त विवेचन के आधार पर विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता A-B अधिक उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं।

08. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं,जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचन के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

8 .उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता मार्क A-B कुल रकबा 0.1784 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर की प्रति बीघा की दुगूनी प्रतिकर राशि दिए जाने के प्रावधान है। जिसको प्रार्थीनी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा ग्राम शोभावास तहसील पचपदरा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 155/77 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 37 मे 696 वर्ग मीटर,खसरा संख्या 190/36 मे 80 वर्ग मीटर व खसरा संख्या 248/77 मे 1080 वर्ग मीटर भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर राशि की अपनी स्तर पर गणना करते हुए कुल देय राशि की दुगुनी राशि प्रभावित पक्षकारान को नियमानुसार भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीनी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
31/07/2025

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
31/07/2025